









केन्द्रीय प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

व राज्य सरकार

के अधीन

मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा

मछुआरों व मत्स्य कृषकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं

अधिक जानकारी के लिए विभागीय वैबसाईट देखें।



hpfisheries.nic.in fisheries-hp@nic.in \$\,\$01978-224068

🕈 मात्स्यिकी निदेशालय हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर

मात्स्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

1) योजना का नाम	मछली पकने के प्रतिबंध या लीन अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए समाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रीय पारंपिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण सम्बन्धी सहायता (बचत एवम राहत योजना)
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।
उदेश्य एवम विशेषता	राज्य के जलाशयों में कार्यरत मछुआरों को दो माह के वर्जित काल के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना ।
पात्रता	1. लाभार्थी पूर्णकालिक सक्रिय मछुआरा होना चाहिये 2. लाभार्थी किसी कार्यशील मत्स्य सहकारी सभा/फेडरेशन/पंजीकृत इकाई का सदस्य होना चाहिये लाभार्थी को मछली पकडने वाले 10 माह तक रु० 150/- प्रति माह (रू० 1500 वार्षिक) का योगदान देना होगा राज्य सरकार, केंद्र सरकार व लाभार्थी से रू० 4500/- की एकत्रित राशिप्रत्येक मछुआरे को दो माह के वर्जित काल के समय दो किस्तों में दी जाती है
सहायता का ब्योरा	रू० 3000/- (रू० 600/- राज्य भाग + रू० 2400/- केंद्र भाग)
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है?या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in
वांछित दस्तावेज़ आवेदन जमा करने का स्थान व	राज्य के जलाशयों की मत्स्य सहकारी सभाओं से पूर्णकालिक मछुआरों का पूर्ण विवरण व 10 माह का वित्तिय योगदान। सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/वरिष्ठ मत्स्य
सम्पर्क सूत्र / अधिकारी । आयु सीमा	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी - न्यूनतम 18-60 जेंडर सभी
2) योजना का नाम	दुर्घटना बीमा योजना (प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना की पद्धति पर)
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।
उदेश्य एवम विशेषता	राज्य के सभी मछुआरो, मत्स्य पालकों मछली श्रमिकों व किसी भी अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को जो मत्स्यपालन सम्बन्धी गतिविधियों में शामिल है को निःशुल्क बीमा उपलब्ध करवाना

पात्रता	1. राज्य के सभी मछुआरो व मत्स्य पालक निःशुल्क बीमा
	योजना में पात्र हैं। मछुआरा / मत्स्य पालक मृत्यु अथवा पूर्ण
	स्थाई अपंगता होने पर रू० 5.00 लाख की राशि हेतु
	बीमित है। आंशिक अपंगता होने पर रू० 2.50 लाख की
	राशि हेतु बीमित है तथा दुर्घटना होने पर – Indoor
	patient (Hospitalization expenses) उपचार हेतु मु०
	0.25 लाख वित्तीयसहायता दी जाएगी।
	2. बीमा कवच 12 माह के लिये होगा ।
	3. बीमा योजना (NFDB) के माध्यम से लागू की जायेगी।
सहायता का ब्योरा	100 %
सहायता लेने के लिए आवेदन की	
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से	प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय
प्राप्त की जा सकती है? या किस	कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है । आवेदक को सम्बन्धित
वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	क्षेत्रीय कार्यालय में साधारण कागज पर दुर्घटना बारे सूचना
है?	सम्बधित अधिकारी को तुरन्त देनी होगी । (आवेदन फॉर्म के
	लिए नीचे क्लिक करें) <u>GAIS Claim Form</u>
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in
वांछित दस्तावेज़	पहचान पत्र पते सहित, बैंकखाताविवरण
THISKI TAKE	(आईऍफ़एससीकोडसहित), मोबाइलनंबर आधारलिंक , मृत्यु की
	अवस्था में मुआवजे की राशी प्राप्त करने के लिए निर्धारित
	प्रपत्र पर प्राथमिकी सुचना /रासायनिक विश्लेष्ण रिपोर्ट अथवा
	चिकित्सा प्रमाण पत्र जिसमें मृत्यु का कारण बताया गया हो।
	मृत्यु प्रमाण पत्र, वैधानिक उतराधिकारी प्रमाण पत्र।
	सात वर्ष से गुम होने की अवस्था में मनोनीत व्यक्ति से
	क्षतिपूर्ति बंधपत्र। आयु प्रमाण पत्र। अपंगता की अवस्था में
	मुआवजे का विवरण, घटना के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से
	क्षतिग्रस्त प्रमाण पत्र दुर्घटना केएक माह के भीतर देना होगा।
आवेदन जमा करने का स्थान व	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	अधिकारी / मत्स्य अधिकारी
आयु सीमा	18 से 70 वर्ष के बीच जेंडर सभी
2) मोनम सर सम	मक्त्रमार्थे व मक्त्रम मक्त्रमार्थे के मुश्लिम शिक्ति मोक्स
3) योजना का नाम	मछुआरों व मत्स्य पालकों हेतु प्रशिक्षण शिविर योजना
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र
	सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।
उदेश्य एवम विशेषता	मछुआरों व मत्स्य पालकों के ज्ञानवर्धनं व स्वरोजगार सृजन
	हेतु।
पात्रता	समय समय पर मात्स्यिकी विभाग द्वारा मछुआरों व मत्स्य
	पालकों के ज्ञानवर्धनं हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया
	जाता है जिसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों से प्राप्त की
	जा सकती है इस योजना में बेरोजगार व्यक्ति जो भविष्य में
	मत्स्य पालन अपनाना चाहता है वो भी पात्र है।
सहायता का ब्योरा	100 %
सहायता लेने के लिए आवेदन की	आवेदन कोरे कागज पर मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से	
प्राप्त की जा सकती है? या किस	प्रशिक्षण शिविर की जानकारी विभाग की वेबसाइट
त्रात पर्ग जा त्रपरिता हुं? या किस	त्रात्राचा । त्राचित्रः चया च्यापयगरा । यभागः चया चयसाइट

वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	hpfisheries.nic.in पर एक माह पूर्व फ्लेश की जायेगी।
है?	inpriorition in the second
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in
वांछित दस्तावेज़	प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने हेत् आवेदन कोरे कागज पर
	आवेदन पत्र विषय सहित, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र पते
	सहित।
आवेदन जमा करने का स्थान व	
सम्पर्क सूत्र / अधिकारी ।	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी
4) योजना का नाम	तालाब नव निर्माण हेतु सहायता योजना (स्लूस गेट जलापूर्ति
	हेतु निर्माण कार्य तथा वायुसनचारन, आहार भंडार)
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र
	सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।
उदेश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी
पात्रता	1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण
	प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान
	नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय
	सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो
	सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 7 वर्षों की अवधि
	ले लिए होनी अनिवार्य है ।
	2. निर्मित तालाब की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी
	चाहिये। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल की ही
	वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं
	इत्यादि को प्रति सदस्य 2 हेक्टेयर तथा अधिकतम 20
	हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वित्तिय सहायता प्रदान की जायेगी ।
	3. परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की
	सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= रू० 8,40,000/- प्रति हेक्टेयर) सामान्य
	जाति 40% (रू० 3,36,000/-) प्रति हेक्टेयर की अधिकतम
	सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और
	उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति हेक्टेयर की दर से
	रू० 5,04,000/- अधिकतम सीमा।
सहायता लेने के लिए आवेदन की	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से	सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और
प्राप्त की जा सकती है? या किस	विभाग की वेबसाइट <u>hpfisheries.nic.in</u> से डाउनलोड की जा
वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	सकती है। (<u>आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें</u>)
है?	<u>विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र</u>
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in
वांछित दस्तावेज़	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़
	(पर्चा/ततीमा), पह्चान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार
	लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व
	तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क'
आवेदन जमा करने का स्थान व	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य

सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी
5) योजना का नाम	रियरिंग तालाब नव निर्माण हेतु सहायता योजना
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।
उदेश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व राज्य के जल-स्त्रोतों में संग्रहण हेतु बड़े आकार की अन्गुलिकाऐ तैयार करना ।
पात्रता	 लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम त्र वर्षों की अवधि ले लिए होनी अनिवार्य है। निर्मित तालाब की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल की वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को प्रति सदस्य 2 हेक्टेयर तथा अधिकतम 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वित्तिय सहायता प्रदान की जायेगी। परियोजना प्रस्ताव केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= रू० 7,00,000/- प्रति हेक्टेयर) सामान्य जाति 40% रू० 2,80,000/- प्रति हेक्टेयर की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति हेक्टेयर की दर से रू० 4,20,000/- अधिकतम सीमा।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in
वांछित दस्तावेज़ आवेदन जमा करने का स्थान व	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़ (पर्चा/ततीमा), बी.पी.एल. प्रमाण पत्र, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क', जाति प्रमाण पत्र, विभाग के साथ अनुबंध पत्र, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र। सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी
ખાયુ તાના	नगर गता जिमा

6) योजना का नाम	प्रथम वर्षीय आदानो हेतु सहायता योजना (बीज, खुराक, खाद
	व परिवहन)
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र
	सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।
उदेश्य एवम विशेषता	प्रथम वर्ष में मत्स्य पालकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु वित्तिय
	सहायता।
पात्रता	1. मत्स्य पालन निर्माण व मुरम्मत पर आदानो हेतु सहायता
	प्रदान की जायेगी।
	2. आदानों हेतु सहायता केवल प्रथम वर्ष में ही दी जायेगी ।
	3. आदानो हेतु सहायता केवल तालाबों के पूर्ण रूप से मत्स्य
	पालन योग्य होने पर दी जाएगीं।
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= रू० 4,00,000/- प्रति हेक्टेयर)सामान्य
	जाति 40 % रू० 1,60,000/- प्रति हेक्टेयर की उच्चतम
	सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और
	उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति हेक्टेयर की दर से
	रू० 2,40,000/- की अधिकतम सीमा।
सहायता लेने के लिए आवेदन की	` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से	में देय है। अतः अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है
प्राप्त की जा सकती है? या किस	
वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	
है?	
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in
वांछित दस्तावेज़	केवल तालाब नव निर्माण के अंतर्गत लाभार्थी हेतु सहायता
	योजनाः पूर्ण प्रथम वर्षीय आदानो को क्रय करने की मूल रसीदे
	इत्यादि।
आवेदन जमा करने का स्थान व	
सम्पर्क सूत्र / अधिकारी ।	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी
7) योजना का नाम	कार्प हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र
	सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।
उदेश्य एवम विशेषता	कार्प बीज उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना व राज्य में
	मत्स्य पालन में स्वरोजगार सृजन करने हेतु वित्तिय सहायता।
पात्रता	1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण
	प्रस्तुत करने होंगे। भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है
	पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम10 वर्षों की अवधि ले लिए होनी अनिवार्य है
	थानवाय ह 2. भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।
	 मूर्गि हतु काई मा विश्विय सहायता प्रदोन नहा का जायगा। परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की
	5. पारवाजना । रपाट कवल मात्स्यका ।यमाग ।हमावल प्रदश का सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी ।
	4. हैचरी में न्यूनतम 15 मिलियन (1.5 करोड़) फ्राई प्रति वर्ष
	उत्पादन होना चाहिये। जिसका क्षेत्रफल न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर
	होना अनिवार्य है।
	लात आसमान है।

	5. हैचरी में ब्रूडर तालाब, नर्सरी तालाब, बिजली व पानी की
	आपूर्ति, छोटे आकार की प्रयोगशाला इत्यादि की सुविधा होनी
	चाहिए।
	6. हैचरी योग्य तकनीकी एवम कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी
	चाहिये।
	7. लाभार्थी अन्य मत्स्य पालको को मत्स्य बीज उपलब्ध करवाना
	सुनिश्चित करें।
	8. निर्माण उपरांत हैचरी का प्रबंधन व संचालन लाभार्थी अपने
	खर्च पर करेगा।
	9. हैचरी को प्रमाणित करने का व्यय भी इकाई लागत में से
	वहन करना अनिवार्य होगा।
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= रू० 25,00,000/- प्रति इकाई व 2
	हेक्टेयर नरसरी तालाबों के निर्माण हेतु) सामान्य जाति 40 %
	रू० 10, 00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा,
	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी
	सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से रू०
	15,00,000/- अधिकतम सीमा।
सहायता लेने के लिए आवेदन की	
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से	
प्राप्त की जा सकती है? या किस	विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा
वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	`
है?	विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in
वांछित दस्तावेज़	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के
	दस्तावेज़(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल
	नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व
	तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, विभाग के
	साथ अनुबंध पत्र, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र।, जाति प्रमाण
	पत्र ।
आवेदन जमा करने का स्थान व	· ·
सम्पर्क सूत्र / अधिकारी ।	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी
8) योजना का नाम	ट्राउट इकाई निर्माण हेतु सहायता योजना
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र
-2 62	सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।
उदेश्य एवम विशेषता	ट्राउट पालन में स्वरोजगार व् ट्राउट उत्पादन में बढ़ोतरी।
पात्रता	1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के
	प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई
	हो सकती है पट्टे पर ली गईभूमि न्यूनतम 7वर्षों की अवधि ले
	लिए होनी अनिवार्य है
	2. भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं की
	जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय
	सहायता हेतु पात्र है। 3. प्रति लाभार्थी केवल 4 इकाईयों पर वित्तिय सहायता

	प्रदान की जायेगी।
	4. सहकारी सभाओं हेतु अधिकतम 10 इकाईयों हेतु वित्तिय
	सहायता प्रदान की जायेगी।
मनागन का क्योग	
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= रू०3,00,000/- प्रति इकाई)
	17m*2m*1.5m सामान्य जाति 40 % रू॰ 1,20,000/-
	प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित
	जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60%
	प्रति इकाई की दर से रू० 1,80,000/- अधिकतम सीमा।
सहायता लेने के लिए आवेदन की	
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से	
प्राप्त की जा सकती है? या किस	विभाग की वेबसाइट <u>hpfisheries.nic.in</u> से डाउनलोड की जा
वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	सकती है। (<u>आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें</u>)
है?	विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in
वांछित दस्तावेज़	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़,
	पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ
	बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर
	वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क', विभाग के साथ अनुबंध पत्र,
	लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र।, जाति प्रमाण पत्र।
आवेदन जमा करने का स्थान व	उप-निदेशक कुल्लू/सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/
सम्पर्क सूत्र / अधिकारी ।	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी
। जाव सामा	1 4/15 1/61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9) योजना का नाम	ट्राउट पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक,
9) योजना का नाम	ट्राउट पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक, परिवहन) हेतु सहायता योजना
	ट्राउट पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक, परिवहन) हेतु सहायता योजना प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र
9) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन	ट्राउट पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक, परिवहन) हेतु सहायता योजना प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।
9) योजना का नाम	ट्राउट पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक, परिवहन) हेतु सहायता योजना प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। ट्राउट उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना व राज्य में
9) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन	ट्राउट पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक, परिवहन) हेतु सहायता योजना प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। ट्राउट उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार सृजन हेतु वित्तिय सहायता।
9) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता	ट्राउट पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक, परिवहन) हेतु सहायता योजना प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। ट्राउट उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार सृजन हेतु वित्तिय सहायता। 1. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल नव निर्मित ट्राउट
9) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता	ट्राउट पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक, परिवहन) हेतु सहायता योजना प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। ट्राउट उत्पादन में राज्य को आत्मिनिर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार सृजन हेतु वित्तिय सहायता। 1. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल नव निर्मित ट्राउट रेसवेज पर ही देय है।
9) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता	ट्राउट पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक, परिवहन) हेतु सहायता योजना प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। ट्राउट उत्पादन में राज्य को आत्मिनिर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार सृजन हेतु वित्तिय सहायता। 1. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल नव निर्मित ट्राउट रेसवेज पर ही देय है। 2. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल ट्राउट रेसवेज के पूर्ण
9) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता पात्रता	ट्राउट पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक, परिवहन) हेतु सहायता योजना प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। ट्राउट उत्पादन में राज्य को आत्मिनिर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार सृजन हेतु वित्तिय सहायता। 1. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल नव निर्मित ट्राउट रेसवेज पर ही देय है। 2. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल ट्राउट रेसवेज के पूर्ण रूप से मत्स्य पालन योग्य होने पर ही दी जायेगी।
9) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता	ट्राउट पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक, परिवहन) हेतु सहायता योजना प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। ट्राउट उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार मृजन हेतु वित्तिय सहायता। 1. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल नव निर्मित ट्राउट रेसवेज पर ही देय है। 2. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल ट्राउट रेसवेज के पूर्ण रूप से मत्स्य पालन योग्य होने पर ही दी जायेगी। (इकाई लागत= रू०2,50,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति
9) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता पात्रता	प्राउट पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक, परिवहन) हेतु सहायता योजना प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। ट्राउट उत्पादन में राज्य को आत्मिनिर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार सृजन हेतु वित्तिय सहायता। 1. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल नव निर्मित ट्राउट रेसवेज पर ही देय है। 2. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल ट्राउट रेसवेज के पूर्ण रूप से मत्स्य पालन योग्य होने पर ही दी जायेगी। (इकाई लागत= रू०2,50,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40 % रू० 1,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा,
9) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता पात्रता	प्राउट पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक, परिवहन) हेतु सहायता योजना प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। ट्राउट उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार मृजन हेतु वित्तिय सहायता। 1. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल नव निर्मित ट्राउट रेसवेज पर ही देय है। 2. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल ट्राउट रेसवेज के पूर्ण रूप से मत्स्य पालन योग्य होने पर ही दी जायेगी। (इकाई लागत= रू०2,50,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40 % रू० 1,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी
9) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता पात्रता	प्राउट पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक, परिवहन) हेतु सहायता योजना प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। ट्राउट उत्पादन में राज्य को आत्मिनिर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार मृजन हेतु वित्तिय सहायता। 1. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल नव निर्मित ट्राउट रेसवेज पर ही देय है। 2. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल ट्राउट रेसवेज के पूर्ण रूप से मत्स्य पालन योग्य होने पर ही दी जायेगी। (इकाई लागत= रू०2,50,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40 % रू० 1,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से
9) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता पात्रता सहायता का ब्योरा	प्राउट पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक, परिवहन) हेतु सहायता योजना प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। ट्राउट उत्पादन में राज्य को आत्मिनिर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार मृजन हेतु वित्तिय सहायता। 1. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल नव निर्मित ट्राउट रेसवेज पर ही देय है। 2. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल ट्राउट रेसवेज के पूर्ण रूप से मत्स्य पालन योग्य होने पर ही दी जायेगी। (इकाई लागत= रू०2,50,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40 % रू० 1,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से रू०1,50,000/- अधिकतम सीमा।
9) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता पात्रता सहायता का ब्योरा सहायता लेने के लिए आवेदन की	प्राच्ट पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक, परिवहन) हेतु सहायता योजना प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। ट्राउट उत्पादन में राज्य को आत्मिनर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार मृजन हेतु वित्तिय सहायता। 1. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल नव निर्मित ट्राउट रेसवेज पर ही देय है। 2. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल ट्राउट रेसवेज के पूर्ण रूप से मत्स्य पालन योग्य होने पर ही दी जायेगी। (इकाई लागत= रू०2,50,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40 % रू० 1,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से रू०1,50,000/- अधिकतम सीमा। यह योजना ट्राउट इकाई निर्माण केलाभार्थी हेतु प्रथम वर्ष में
9) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता पात्रता सहायता का ब्योरा सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से	प्राच्ट पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक, परिवहन) हेतु सहायता योजना प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। ट्राउट उत्पादन में राज्य को आत्मिनर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार मृजन हेतु वित्तिय सहायता। 1. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल नव निर्मित ट्राउट रेसवेज पर ही देय है। 2. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल ट्राउट रेसवेज के पूर्ण रूप से मत्स्य पालन योग्य होने पर ही दी जायेगी। (इकाई लागत= रू०2,50,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40 % रू० 1,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से रू०1,50,000/- अधिकतम सीमा। यह योजना ट्राउट इकाई निर्माण केलाभार्थी हेतु प्रथम वर्ष में
9) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता पात्रता सहायता का ब्योरा सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस	प्राच्ट पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक, परिवहन) हेतु सहायता योजना प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। ट्राउट उत्पादन में राज्य को आत्मिनर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार मृजन हेतु वित्तिय सहायता। 1. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल नव निर्मित ट्राउट रेसवेज पर ही देय है। 2. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल ट्राउट रेसवेज के पूर्ण रूप से मत्स्य पालन योग्य होने पर ही दी जायेगी। (इकाई लागत= रू०2,50,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40 % रू० 1,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से रू०1,50,000/- अधिकतम सीमा। यह योजना ट्राउट इकाई निर्माण केलाभार्थी हेतु प्रथम वर्ष में
9) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता पात्रता सहायता को के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	प्राच्ट पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक, परिवहन) हेतु सहायता योजना प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। ट्राउट उत्पादन में राज्य को आत्मिनर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार मृजन हेतु वित्तिय सहायता। 1. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल नव निर्मित ट्राउट रेसवेज पर ही देय है। 2. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल ट्राउट रेसवेज के पूर्ण रूप से मत्स्य पालन योग्य होने पर ही दी जायेगी। (इकाई लागत= रू०2,50,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40 % रू० 1,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से रू०1,50,000/- अधिकतम सीमा। यह योजना ट्राउट इकाई निर्माण केलाभार्थी हेतु प्रथम वर्ष में
9) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता पात्रता सहायता को के लिए आवेदन की प्रिक्रिया- आवेदन की प्रित कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	प्राज्य पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक, परिवहन) हेतु सहायता योजना प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। ट्राउट उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार मृजन हेतु वित्तिय सहायता। 1. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल नव निर्मित ट्राउट रेसवेज पर ही देय है। 2. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल ट्राउट रेसवेज के पूर्ण रूप से मत्स्य पालन योग्य होने पर ही दी जायेगी। (इकाई लागत= रू०2,50,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40 % रू० 1,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से रू०1,50,000/- अधिकतम सीमा। यह योजना ट्राउट इकाई निर्माण केलाभार्थी हेतु प्रथम वर्ष में देय है । अतः अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ।
9) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता पात्रता सहायता को के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	प्राच्ट पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक, परिवहन) हेतु सहायता योजना प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। ट्राउट उत्पादन में राज्य को आत्मिनर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार मृजन हेतु वित्तिय सहायता। 1. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल नव निर्मित ट्राउट रेसवेज पर ही देय है। 2. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल ट्राउट रेसवेज के पूर्ण रूप से मत्स्य पालन योग्य होने पर ही दी जायेगी। (इकाई लागत= रू०2,50,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40 % रू० 1,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से रू०1,50,000/- अधिकतम सीमा। यह योजना ट्राउट इकाई निर्माण केलाभार्थी हेतु प्रथम वर्ष में

आवेदन जमा करने का स्थान व	
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी
10)	
10) योजना का नाम	ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र
	सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।
उदेश्य एवम विशेषता	ट्राउट बीज उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना व राज्य में
	मत्स्य पालन में स्वरोजगार सृजन करने हेतु वित्तिय सहायता।
पात्रता	1. लाभार्थी को स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त
	भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
	भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं की
	जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय
	सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष के
	लिए होनी अनिवार्य है।
	2. परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल
	प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।
	3. हैचरी में न्यूनतम 15.00 लाख ट्राउट बीज प्रति वर्ष
	उत्पादन होना चाहिये। इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4
	हेक्टेयर होना अनिवार्य है।
	4. हैचरी में हैचिंग ट्रौफ, 4 शावजनक रेसवे, नर्सरी टैंक,
	स्टार्टर फीडर टैंक, बिजली व पानी इत्यादि की सुविधा
	होनी चाहिए।
	 हैचरी योग्य तकनीकी एवम कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिये।
	हाना चाहिय । 6. लाभार्थी अन्य मत्स्य पालको को मत्स्य बीज उपलब्ध
	o. लामाचा अन्य मत्स्य पालका का मत्स्य बाज उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
	7. निर्माण उपरांत हैचरी का प्रबंधन व संचालन लाभार्थी
	अपने खर्च पर करेगा
	8. हैचरी को प्रमाणित करने का व्यय भी इकाई लागत में
	से वहन करना अनिवार्य होगा।
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= रू० 50,00,000/- प्रति इकाई) सामान्य
	जाति 40 % रू० 20,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम
	सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और
	उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से
	रू॰ 30,00,000/- अधिकतम सीमा।
सहायता लेने के लिए आवेदन की	
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से	सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और
प्राप्त की जा सकती है? या किस	विभाग की वेबसाइट <u>hpfisheries.nic.in</u> से डाउनलोड की जा
वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	सकती है। (<u>आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें</u>)
है?	विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in
वांछित दस्तावेज़	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़,
	पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ

	बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर
	वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क', विभाग के साथ अनुबंध पत्र,
	लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र।, जाति प्रमाण पत्र बीपीएल
	प्रमाण पत्र ।
आवेदन जमा करने का स्थान व	उप-निदेशक कुल्लू/सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/
सम्पर्क सूत्र / अधिकारी ।	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी
11) योजना का नाम	मछली चारा मिल्स (2 टन प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता की
	मिनी मील)
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र
	सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।
उदेश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन हेतु मत्स्य आहार उत्पादन
पात्रता	1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के
	प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय
	सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि
	मालिक भी वित्तिय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि
	न्यूनतम् 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है।
	2. राज्य के बेरोजगार युवा/ महिला जिनके पास ऋण मुक्त
	भूमि उपलब्ध हो।
	3. परन्तु यदि कोई लाभ्रथी फीड मिल निर्माण हेतु नई
	भूमि क्रय करना चाहता है तो उस पर हिमाचल प्रदेश
	सरकार के निर्णय अनुसार केवल 3% स्टाम्प ड्यूटी ही
	देय होगी।
	4. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के
	प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय
	सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।
	5. परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल
	प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।
	6. फीड मील योग्य तकनीकी एवम कुशल स्टाफ द्वारा
	प्रबंधित होनी चाहिये।
	7. लाभार्थी अन्य मत्स्य पालको को मत्स्य आहार उपलब्ध
	करवाना सुनिश्चित करें।
	8. निर्माण उपरांत फीड मील का प्रबंधन व संचालन
	लाभार्थी अपने खर्च पर करेगा ।
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत=30,00,000/-रु० प्रति इकाई) सामान्य जाति
	50% रू॰ 15,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा,
	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी
	सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से रू०
	18,00,000/- अधिकतम सीमा।
सहायता लेने के लिए आवेदन की	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से	सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और
प्राप्त की जा सकती है? या किस	विभाग की वेबसाइट <u>hpfisheries.nic.in</u> से डाउनलोड की जा
वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	सकती है। परतु यदि कोई लाभ्रथी फीडमिल निर्माण हेतु नई
है?	भूमि क्रय करना चाहता है तो उस पर हिमाचल प्रदेश सरकार

	के निर्णय अनुसार केवल <u>3% स्टेम्प ड्यूटी</u> ही देय होगी।
	अधिसूचना
	(<u>आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें</u>) <u>विभाग के</u>
	साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in
वांछित दस्तावेज़	ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल
	नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व
	तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क',
	विभाग के साथ अनुबंध पत्र, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र।,
	जाति प्रमाण पत्र ।
आवेदन जमा करने का स्थान व	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	अधिकारी / मत्स्य अधिकारी
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी
12) योजना का नाम	एक्वेरियम/सजावटी मछली के कियोस्क सहित मछली कियोस्क
	का निर्माण
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र
	सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।
उदेश्य एवम विशेषता	मछली विक्रय आउटलेट के निर्माण हेतु वित्तिय सहायता।
<u>'</u> पात्रता	1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के
	प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय
	सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि
	मालिक भी वित्तिय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि
	न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है।
	2. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेज प्रस्तुत
	वरने होंगे।
	 भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं की
	ायेगी ।
	'
	4. परियोजना प्रस्ताव केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल
	प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी ।
	5. फिश आउटलेट का न्यूनतम आकर 100 वर्ग फीट होना
	चाहिए
	6. अनु॰ जाति/अनु॰जनजाति/महिलाओं व् बेरोजगार
	युवाओं को वरीयता दी जाएगी।
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत=10,00,000/-रु० प्रति इकाई) सामान्य जाति
	40% रू० 4,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा,
	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी
	सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से रू०
	6,00,000/- अधिकतम सीमा।
सहायता लेने के लिए आवेदन की	
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से	सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और
प्राप्त की जा सकती है? या किस	विभाग की वेबसाइट <u>hpfisheries.nic.in</u> से डाउनलोड की जा
वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	सकती है। (<u>आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें</u>)
है?	विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in

वांकित त्यारोज	
वांछित दस्तावेज़	ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल
	नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व
	तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क',
	विभाग के साथ अनुबंध पत्र, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र।,
	जाति प्रमाण पत्र ।
आवेदन जमा करने का स्थान व	उप-निदेशक कुल्लू / सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य /
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी
13) योजना का नाम	बैकयार्ड सजावटी मछली पालन इकाई
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र
	सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।
उदेश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी
पात्रता	1.लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण
	प्रस्तुत करने होंगे भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान
	नहीं की जायेगी पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय
	सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो
	सकती है पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 7 वर्षों की अवधि ले
	लिए होनी अनिवार्य है
	2.परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश
	की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी
	3. लाभार्थी के पास अपने घर के साथ जल स्त्रोत्र वाली
	न्यूनतम ३०० वर्ग फीट भूमि होनी चाहिए ।
	4. इकाई में शेड, रियारिंग/कल्चर टैंक होने चाहिए।
	5. इकाई लागत में कैपिटल व् ऑपरेशनल लागत सम्मिलित
	है।
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= रू० 3 ,00 ,000/- इकाई) सामान्य जाति
	40% (रू॰ 1,2 0 ,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम
	सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और
	उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से
	रू॰ $1,80,000/-$ अधिकतम सीमा।
सहायता लेने के लिए आवेदन की	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से	सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और
प्राप्त की जा सकती है? या किस	विभाग की वेबसाइट <u>hpfisheries.nic.in</u> से डाउनलोड की जा
वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	सकती है। (<u>आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें</u>)
है?	विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in
वांछित दस्तावेज़	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़
	(पर्चा/ ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर
	(आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण,
	पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र
	फॉर्म 'क'
आवेदन जमा करने का स्थान व	
सम्पर्क सूत्र / अधिकारी ।	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी
	कोई नहीं जेंडर सभी
आयु सीमा	काइ पहा

14) योजना का नाम	मध्यम स्केल सजावटी मछली पालन इकाई
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र
	सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।
उदेश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी
पात्रता	1.लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण
	प्रस्तुत करने होंगे भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान
	नहीं की जायेगी पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय
	सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो
	सकती है पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 7 वर्षों की अवधि ले
	लिए होनी अनिवार्य है
	2.परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश
	की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी
	3. लाभार्थी के पास अपने घर के साथ जल स्त्रोत्र वाली
	न्यूनतम 150 वर्गमीटर भूमि होनी चाहिए ।
	4. इकाई में शेड, रियारिंग/कल्चर टैंक होने चाहिए।
	5. इकाई लागत में कैपिटल व् ऑपरेशनल लागत सम्मिलित
	है।
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= रू० 8,00,000/- इकाई) सामान्य जाति
	40% (रू० 3,20,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम
	सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और
	उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से
	रू० 4,80,000/- अधिकतम सीमा।
सहायता लेने के लिए आवेदन की	
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से	
प्राप्त की जा सकती है? या किस	विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा
वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	सकती है। (<u>आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें</u>) विभाग के साथ अनुबंध पत्र, <u>उपयोगिता प्रमाण पत्र</u>
है? विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in
वांछित दस्तावेज़	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़
वाञ्चित दस्तावज्ञ	(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार
	लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व
	तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क'
आवेदन जमा करने का स्थान व	
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी
15) योजना का नाम	मध्यम बायोफ्लोक कल्चर प्रणाली (4 मीटर व्यास के 25 टैंक
	और 1.5 मीटर ऊँचाई)
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र
	सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।
उदेश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् नवीन तकनीक द्वारा मत्स्य
	उत्पादन में बढोत्तरी
पात्रता	1.लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण
	प्रस्तुत करने होंगे भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान
	नहीं की जायेगी पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय

	सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो		
	सकती है पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि ले		
	लिए होनी अनिवार्य है		
	2. प्रति टैंक की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये प्रति		
	लाभार्थी अधिकतम 1 इकाई की ही वित्तिय सहायता प्रदान की		
	जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को अधिकतम 3 इकाईयों		
	पर वित्तिय सहायता प्रदान की जायेगी		
	3.परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश		
	की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी		
	4. जल शुद्धिकरण इकाई अनिवार्य है।		
	5.मत्स्य बीज, आहार व् विप्पणन व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं		
	करनी होगी।		
	6. विदेशी मछलियों को आयात करने हेतु सरकार से अनुमति		
	अनिवार्य है।		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत रू० 25 ,00 ,000/- प्रति इकाई) सामान्य		
	जाति 40% (रू॰ 10,0 0 ,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम		
	सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और		
	उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से		
	रू॰ 15,00,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की			
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से	सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और		
प्राप्त की जा सकती है? या किस	विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा		
वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	सकती है। (<u>आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें</u>)		
है?	विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़		
	(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार		
	लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व		
	तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क'		
आवेदन जमा करने का स्थान व			
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी		
16) योजना का नाम	छोटे बायोफ्लोक कल्चर प्रणाली (4 मीटर व्यास के 7 टैंक और		
10) યાંગમાં યા માન			
	1.5 मीटर ऊँचाई		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र		
	सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उदेश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् नवीन तकनीक द्वारा मत्स्य		
	उत्पादन में बढोत्तरी		
पात्रता	1.लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण		
	प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान		
	नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय		
	सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो		
	सकती है पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम10 वर्षों की अवधि ले		
	racear or is an army arm character of the Malla of Malla and Malla		
	लिए होनी अनिवार्य है		

	2. प्रति टैंक की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रति		
	लाभार्थी अधिकतम 1 इकाई क्षेत्रफल की ही वित्तिय सहायता		
	प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को अधिकतम		
	4 इकाईयों पर वित्तिय सहायता प्रदान की जायेगी		
	3.परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश		
	की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी		
	4. जल शुद्धिकरण इकाई अनिवार्य है।		
	5. मत्स्य बीज, आहार व् विप्पणन व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं		
	in the second se		
	करनी होगी।		
	6. विदेशी मछलियों को आयात करने हेतु सरकार से अनुमति		
	अनिवार्य है।		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= रू० 7 , 5 0 ,000/- प्रति इकाई) सामान्य		
	जाति 40% (रू० 3,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम		
	सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और		
	उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से		
	रू॰ 4,50,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की			
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से	सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और		
प्राप्त की जा सकती है? या किस	विभाग की वेबसाइट <u>hpfisheries.nic.in</u> से डाउनलोड की जा		
7.			
वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	सकती है। (<u>आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें</u>)		
है?	विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
10	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़		
वांछित दस्तावेज़			
वांछित दस्तावेज़	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़ (पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार		
वांछित दस्तावेज़			
वांछित दस्तावेज़	(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार		
वांछित दस्तावेज़ आवेदन जमा करने का स्थान व	(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सिहत, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क'		
आवेदन जमा करने का स्थान व	(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क' सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क' सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा	(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क' सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क' सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी बड़े आर. ए. एस. की स्थापना (न्यूनतम 90 मीटर		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा	(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क' सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी बड़े आर. ए. एस. की स्थापना (न्यूनतम 90 मीटर क्यूब/टैंक की क्षमता और मछली उत्पादन 40 टन/फसल के 8		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 17) योजना का नाम	(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क' सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी बड़े आर. ए. एस. की स्थापना (न्यूनतम 90 मीटर क्यूब/टैंक की क्षमता और मछली उत्पादन 40 टन/फसल के 8 टैंकों के साथ)		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा	(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क' सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी बड़े आर. ए. एस. की स्थापना (न्यूनतम 90 मीटर क्यूब/टैंक की क्षमता और मछली उत्पादन 40 टन/फसल के 8 टैंकों के साथ) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 17) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन	(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क' सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी बड़े आर. ए. एस. की स्थापना (न्यूनतम 90 मीटर क्यूब/टैंक की क्षमता और मछली उत्पादन 40 टन/फसल के 8 टैंकों के साथ) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 17) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता	(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क' सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी बड़े आर. ए. एस. की स्थापना (न्यूनतम 90 मीटर क्यूब/टैंक की क्षमता और मछली उत्पादन 40 टन/फसल के 8 टैंकों के साथ) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। मत्स्य पालन में स्वरोजगार व मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 17) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन	(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क' सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी बड़े आर. ए. एस. की स्थापना (न्यूनतम 90 मीटर क्यूब/टैंक की क्षमता और मछली उत्पादन 40 टन/फसल के 8 टैंकों के साथ) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी 1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 17) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता	(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क' सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी बड़े आर. ए. एस. की स्थापना (न्यूनतम 90 मीटर क्यूब/टैंक की क्षमता और मछली उत्पादन 40 टन/फसल के 8 टैंकों के साथ) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी 1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 17) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता	(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क' सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी बड़े आर. ए. एस. की स्थापना (न्यूनतम 90 मीटर क्यूब/टैंक की क्षमता और मछली उत्पादन 40 टन/फसल के 8 टैंकों के साथ) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी 1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 17) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता	(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क' सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी बड़े आर. ए. एस. की स्थापना (न्यूनतम 90 मीटर क्यूब/टैंक की क्षमता और मछली उत्पादन 40 टन/फसल के 8 टैंकों के साथ) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी 1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 17) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता	(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क' सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी बड़े आर. ए. एस. की स्थापना (न्यूनतम 90 मीटर क्यूब/टैंक की क्षमता और मछली उत्पादन 40 टन/फसल के 8 टैंकों के साथ) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी 1. लाभार्थी को ऋण मृक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 17) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता	(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क' सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ विरष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी बड़े आर. ए. एस. की स्थापना (न्यूनतम 90 मीटर क्यूब/टैंक की क्षमता और मछली उत्पादन 40 टन/फसल के 8 टैंकों के साथ) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी 1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 17) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता	(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क' सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ विरष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी बड़े आर. ए. एस. की स्थापना (न्यूनतम 90 मीटर क्यूब/टैंक की क्षमता और मछली उत्पादन 40 टन/फसल के 8 टैंकों के साथ) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी 1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम10 वर्षों की अवधि ले लिए होनी अनिवार्य है।		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 17) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता	(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क' सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी बड़े आर. ए. एस. की स्थापना (न्यूनतम 90 मीटर क्यूब/टैंक की क्षमता और मछली उत्पादन 40 टन/फसल के 8 टैंकों के साथ) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी 1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम10 वर्षों की अवधि ले लिए होनी अनिवार्य है। 2. प्रति टैंक की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रति		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 17) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता	(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क' सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ विरष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी बड़े आर. ए. एस. की स्थापना (न्यूनतम 90 मीटर क्यूब/टैंक की क्षमता और मछली उत्पादन 40 टन/फसल के 8 टैंकों के साथ) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी 1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम10 वर्षों की अवधि ले लिए होनी अनिवार्य है।		

	2 इकाईयों पर वित्तिय सहायता प्रदान की जायेगी
	3. परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश
	की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी
	4. जल शुद्धिकरण इकाई अनिवार्य है।
	5. मत्स्य बीज, आहार व् विप्पण व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं
	करनी होगी।
	6. विदेशी मछलियों को आयत करने हेतु सरकार स अनुमति
	अनिवार्य है।
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= रू० 50 , 0 0 ,000/- प्रति इकाई) सामान्य
	जाति 40% (रू० 20 , 0 0 ,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम
	सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और
	उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से
	रू० 30,00,000/- अधिकतम सीमा।
सहायता लेने के लिए आवेदन की	
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से	
प्राप्त की जा सकती है? या किस	
वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	विभाग की वेबसाइट <u>hpfisheries.nic.in</u> से डाउनलोड की जा सकती है।
है?	(<u>आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें</u>) <u>विभाग के</u>
	साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in
वांछित दस्तावेज़	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़
	(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार
	लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व
	तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क'
आवेदन जमा करने का स्थान व	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	अधिकारी / मत्स्य अधिकारी
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी
18) योजना का नाम	शीत जल की मछली पालन के लिए बड़े आर.ए.एस. की
	स्थापना न्यूनतम 50 क्यूबिक मीटर/ टैंक क्षमता और 10
	टन/फसल की मछली उत्पादन क्षमता के 10 टैंक)
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र
	सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।
उदेश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी
पात्रता	1 लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के
	प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता
	प्रदान नहीं की जायेगी पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी
	वित्तिय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई
	1 1 1
	हो सकती है पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम10 वर्षों की अवधि ले लिए होनी अनिवार्य है
	2. प्रति टैंक कीन्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये प्रति
	लाभार्थी अधिकतम 1 इकाई क्षेत्रफल की ही वित्तिय सहायता
	प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को अधिकतम
	2 इकाईयों पर वित्तिय सहायता प्रदान की जायेगी
	3.परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश
	5. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 1

	की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी		
	4. जल शुद्धिकरण इकाई अनिवार्य है।		
	5. मत्स्य बीज, आहार व् विप्पण व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं		
	करनी होगी।		
	6. विदेशी मछलियों को आयत करने हेतु सरकार स अनुमति		
	अनिवार्य है।		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= रू० $50,00,000/-$ प्रति इकाई) सामान्य		
सहायता का ज्यारा			
	जाति 40% (रू० 20,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम		
	सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और		
	उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से		
मसमस को ने दिए आनेका की	रू॰ 30,00,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के		
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से	सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और		
प्राप्त की जा सकती है? या किस	विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा		
वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	सकती है। (<u>आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें</u>)		
₹?	विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़		
	(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार		
	लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व		
	तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क'		
आवेदन जमा करने का स्थान व	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य		
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
सम्पर्क सूत्र / अधिकारी । आयु सीमा	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी		
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी मंड सभी कोई नहीं जेंडर सभी मीठे जल वाले क्षत्रों के लिए बयोफ्लोक तालाबों का निर्माण		
सम्पर्क सूत्र / अधिकारी । आयु सीमा	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी मीठे जल वाले क्षत्रों के लिए बयोफ्लोक तालाबों का निर्माण जिसमें इनपुट कोस्ट भी शामिल है (0.1 हेक्टयेर की एक		
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 19) योजना का नाम	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी मीठे जल वाले क्षत्रों के लिए बयोफ्लोक तालाबों का निर्माण जिसमें इनपुट कोस्ट भी शामिल है (0.1 हेक्टयेर की एक इकाई)		
सम्पर्क सूत्र / अधिकारी । आयु सीमा	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी मीठे जल वाले क्षत्रों के लिए बयोफ्लोक तालाबों का निर्माण जिसमें इनपुट कोस्ट भी शामिल है (0.1 हेक्टयेर की एक इकाई) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र		
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 19) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी मीठे जल वाले क्षत्रों के लिए बयोफ्लोक तालाबों का निर्माण जिसमें इनपुट कोस्ट भी शामिल है (0.1 हेक्टयेर की एक इकाई) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 19) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं पेंडर सभी मीठे जल वाले क्षत्रों के लिए बयोफ्लोक तालाबों का निर्माण जिसमें इनपुट कोस्ट भी शामिल है (0.1 हेक्टयेर की एक इकाई) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी		
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 19) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी मीठे जल वाले क्षत्रों के लिए बयोफ्लोक तालाबों का निर्माण जिसमें इनपुट कोस्ट भी शामिल है (0.1 हेक्टयेर की एक इकाई) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी 1.लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण		
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 19) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं पेंडर सभी मीठे जल वाले क्षत्रों के लिए बयोफ्लोक तालाबों का निर्माण जिसमें इनपुट कोस्ट भी शामिल है (0.1 हेक्टयेर की एक इकाई) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी 1.लाभार्थी को ऋण मृक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान		
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 19) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी मीठे जल वाले क्षत्रों के लिए बयोफ्लोक तालाबों का निर्माण जिसमें इनपुट कोस्ट भी शामिल है (0.1 हेक्टयेर की एक इकाई) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी 1.लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय		
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 19) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जैंडर सभी मीठे जल वाले क्षत्रों के लिए बयोफ्लोक तालाबों का निर्माण जिसमें इनपुट कोस्ट भी शामिल है (0.1 हेक्टयेर की एक इकाई) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी 1.लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो		
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 19) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं पेंडर सभी मीठे जल वाले क्षत्रों के लिए बयोफ्लोक तालाबों का निर्माण जिसमें इनपुट कोस्ट भी शामिल है (0.1 हेक्टयेर की एक इकाई) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी 1.लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 7 वर्षों की अविध ले		
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 19) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी मीठे जल वाले क्षत्रों के लिए बयोफ्लोक तालाबों का निर्माण जिसमें इनपुट कोस्ट भी शामिल है (0.1 हेक्टयेर की एक इकाई) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी 1.लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 7 वर्षों की अवधि ले लिए होनी अनिवार्य है।		
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 19) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं पेंडर सभी मीठे जल वाले क्षत्रों के लिए बयोफ्लोक तालाबों का निर्माण जिसमें इनपुट कोस्ट भी शामिल है (0.1 हेक्टयेर की एक इकाई) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी 1.लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 7 वर्षों की अवधि ले लिए होनी अनिवार्य है। 2.निर्मित तालाब की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये।		
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 19) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं पेंडर सभी मीठे जल वाले क्षत्रों के लिए बयोफ्लोक तालाबों का निर्माण जिसमें इनपुट कोस्ट भी शामिल है (0.1 हेक्टयेर की एक इकाई) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी 1.लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 7 वर्षों की अवधि ले लिए होनी अनिवार्य है। 2.निर्मित तालाब की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रति लाभार्थी अधिकतम 0.1 हेक्टेयर की 2 इकाईयों की		
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 19) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी मीठे जल वाले क्षत्रों के लिए बयोफ्लोक तालाबों का निर्माण जिसमें इनपुट कोस्ट भी शामिल है (0.1 हेक्टयेर की एक इकाई) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी 1.लाभार्थी को ऋण मृक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 7 वर्षों की अविध ले लिए होनी अनिवार्य है। 2.निर्मित तालाब की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रति लाभार्थी अधिकतम 0.1 हेक्टेयर की 2 इकाईयों की वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं		
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 19) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता	कोई नहीं जेंडर सभी मीठे जल वाले क्षत्रों के लिए बयोफ्लोक तालाबों का निर्माण जिसमें इनपुट कोस्ट भी शामिल है (0.1 हेक्टयेर की एक इकाई) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी 1.लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 7 वर्षों की अविध ले लिए होनी अनिवार्य है। 2.निर्मित तालाब की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रति लाभार्थी अधिकतम 0.1 हेक्टेयर की 2 इकाईयों की वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को प्रति सदस्य 2 इकाईयां तथा अधिकतम 20 इकाईयों		
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 19) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी मीठे जल वाले क्षत्रों के लिए बयोफ्लोक तालाबों का निर्माण जिसमें इनपुट कोस्ट भी शामिल है (0.1 हेक्टयेर की एक इकाई) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी 1.लाभार्थी को ऋण मृक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 7 वर्षों की अविध ले लिए होनी अनिवार्य है। 2.निर्मित तालाब की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रित लाभार्थी अधिकतम 0.1 हेक्टेयर की 2 इकाईयों की वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को प्रित सदस्य 2 इकाईयां तथा अधिकतम 20 इकाईयों पर वित्तिय सहायता प्रदान की जायेगी।		
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 19) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी मीठे जल वाले क्षत्रों के लिए बयोफ्लोक तालाबों का निर्माण जिसमें इनपुट कोस्ट भी शामिल है (0.1 हेक्टयेर की एक इकाई) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी 1.लाभार्थी को ऋण मृक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 7 वर्षों की अविध ले लिए होनी अनिवार्य है। 2.निर्मित तालाब की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रति लाभार्थी अधिकतम 0.1 हेक्टेयर की 2 इकाईयों की वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को प्रति सदस्य 2 इकाईयां तथा अधिकतम 20 इकाईयों पर वित्तिय सहायता प्रदान की जायेगी। 3 परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश		
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 19) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी मीठे जल वाले क्षत्रों के लिए बयोफ्लोक तालाबों का निर्माण जिसमें इनपुट कोस्ट भी शामिल है (0.1 हेक्टयेर की एक इकाई) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है। मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी 1.लाभार्थी को ऋण मृक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 7 वर्षों की अवधि ले लिए होनी अनिवार्य है। 2.निर्मित तालाब की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रति लाभार्थी अधिकतम 0.1 हेक्टेयर की 2 इकाईयों की वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को प्रति सदस्य 2 इकाईयां तथा अधिकतम 20 इकाईयों पर वित्तिय सहायता प्रदान की जायेगी।		

	जाति 40% (रू० 5,60,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम		
	सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और		
	उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	रू ० 8,40, 000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के		
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से	सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और		
प्राप्त की जा सकती है? या किस	विभाग की वेबसाइट <u>hpfisheries.nic.in</u> से डाउनलोड की जा		
वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	सकती है। (<u>आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें</u>)		
है?	विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़		
	(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार		
	लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व		
	तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क'		
आवेदन जमा करने का स्थान व	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य		
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी		
20) योजना का नाम	शीत भंडार का निर्माण (न्यूनतम 50 टन क्षमता का प्लांट)		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र		
	सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उदेश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी		
पात्रता	1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण		
	प्रस्तुत करने होंगे भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान		
	नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय		
	सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो		
	सकती है पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि ले		
	लिए होनी अनिवार्य है		
	2 परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश		
	की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी		
	3. केवल मत्स्य पालन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु प्रयोग में लाये		
	जाएंगे।		
	4. रख-रखाव व् संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वह की		
	जायेगी।		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= रू० 1,50, 00 ,000/- प्रति इकाई) सामान्य		
	जाति 40% (रू० 60,0 0 ,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम		
	सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और		
	उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से		
	रू० 90 , 0 0, 000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के		
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से	सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और		
प्राप्त की जा सकती है? या किस	विभाग की वेबसाइट <u>hpfisheries.nic.in</u> से डाउनलोड की जा		
वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	सकती है। (आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें)		
है?	विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
ाचिपाणाच ५ पण			

वांछित दस्तावेज़	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़		
वाञ्चित दस्तावज्ञ	(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार		
	लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व		
	तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क'		
आवेदन जमा करने का स्थान व	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य		
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	अधिकारी / मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी		
21) योजना का नाम	प्रशीतित वाहन (Refrigerated Vehicle)		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्त्र		
	सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उदेश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी		
पात्रता	1. परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश		
	की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी		
	2. केवल मत्स्य पालन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु प्रयोग में लाये		
	जाएंगे।		
	3. रख–रखाव व् संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की		
	जायेगी।		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= रू० 25 ,00 ,000/- प्रति इकाई) सामान्य		
तहायता यम ज्यारा			
	जाति ४०% (रू॰ 10,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम		
	सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और		
	उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाईकी दर से रू०		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	15,00,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की			
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से			
प्राप्त की जा सकती है? या किस			
वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
है?	विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक),		
	आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व		
	तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क'		
आवेदन जमा करने का स्थान व	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य		
सम्पर्क सूत्र / अधिकारी ।	अधिकारी / मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी		
22) योजना का नाम	इंसुलेटेड वाहन		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र		
	सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उदेश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी		
पात्रता	1. परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश		
	की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी		
	2. केवल मत्स्य पालन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु प्रयोग में लाये		
	जाएंगे।		
	3. रख-रखाव व् संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की		
	जायेगी		
	भाषमा		

मनागना का क्योरा	(टकार्ट लागन-	₹ 20 00 000	/- प्रति इकाई) सामान्य
सहायता का ब्योरा	_		
			प्रति इकाई की अधिकतम
			त जनजाति, महिला और
			0% प्रति इकाई की दर से
	₹° 12,00,000) / – अधिकतम सीग	मा
सहायता लेने के लिए आवेदन की	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के		
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से	सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और		
प्राप्त की जा सकती है? या किस			
वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	सकती है। (आवेदन	न फॉर्म 'क' के वि	नेये यहाँ क्लिक करें)
है?	विभाग के साथ उ	<mark>अनुबंध पत्र,</mark> उपयोर्ा	गेता प्रमाण पत्र
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@ni	_	
वांछित दस्तावेज़	पहचान पत्र पते	सहित, मोबाइल नं	बर (आधार लिंक),
	7	आ बैंक खाता विव	
	0 0		ा आवेदन पत्र फॉर्म 'क'
आवेदन जमा करने का स्थान व			शक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य
सम्पर्क सूत्र / अधिकारी ।	अधिकारी / मत्स्य		ताम चररत्र/ भार ं ग रह्म
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर जेंडर	सभी
ખાયુ સામા	यगर महा	अंडर	तमा
23) योजना का नाम	आइस बॉक्स के र	। साथ मोटर साइकिल	
योजना/स्कीम का संचालन			के अंतर्गत यह योजना केन्द्र
वाजामा/ रचनम् चन राजाराम		। से राज्य में लागू	_ ^ _
उदेश्य एवम विशेषता			उत्पादन में बढोत्तरी
		,	
पात्रता			पकी विभाग हिमाचल प्रदेश
		ही स्वीकार्य होगी	
		पालन सम्बन्धा गात	विधियों हेतु प्रयोग में लाये
	जाएंगे।		
		व् सचालन लागत	लाभार्थी द्वारा वहन की
	जायेगी ।		
सहायता का ब्योरा			प्रति इकाई) सामान्य जाति
			नाई की अधिकतम सीमा,
	अनुसूचित जाति,	अनुसूचित जनज	ाति, महिला और उनकी
	सहकारी सभाओं	के लिए 60% प्र	ति इकाई की दर से रू०
	45,000/- अधि	कतम सीमा।	
सहायता लेने के लिए आवेदन की	आवेदन की प्रति	मत्स्य पालन विभाग	ा हिमाचल प्रदेश के
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से	सम्बन्धित क्षेत्रीय	कार्यालय से प्राप्त व	नि जा सकती है और
प्राप्त की जा सकती है? या किस	विभाग की वेबसा	इट <u>hpfisheries.ni</u>	<u>c.in</u> से डाउनलोड की जा
वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	सकती है। (आवेर	दन फॉर्म 'क' के	<u>लिये यहाँ क्लिक करें</u>)
है?	7	<mark>अनुबंध पत्र,</mark> उपयोर्	
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@ni		
वांछित दस्तावेज़	पहचान पत्र पते	सहित, मोबाइल नं	बर (आधार लिंक),
		आ बैंक खाता विव	
			ा आवेदन पत्र फॉर्म 'क'
आवेदन जमा करने का स्थान व			शक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य
सम्पर्क सूत्र / अधिकारी ।	अधिकारी / मत्स्य		
	1 -11 × 11 × 11 × 11 × 11 ×	11 M 14 / L	

आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी	
24) योजना का नाम	आइस बॉक्स के र	नाथ तीन व्हीलर		
योजना/स्कीम का संचालन		<u> </u>	के अंतर्गत यह योजना केन्द्र	
		ा से राज्य में लागृ		
उदेश्य एवम विशेषता			उत्पादन में बढोत्तरी	
पात्रता		\\	यकी विभाग हिमाचल प्रदेश	
		ही स्वीकार्य होगी	~	
			तेविधियों हेतु प्रयोग में लाये	
	जाएंगे।	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	3. रख-रखाव व् संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की			
	जायेगी ।			
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत=	₹0 3,00,000	/- प्रति इकाई) सामान्य	
			प्रति इकाई की अधिकतम	
			त जनजाति, महिला और	
	0 (1)	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0% प्रति हेक्टेयर इकाई की	
) , 000/- अधिकत		
सहायता लेने के लिए आवेदन की			ग हिमाचल प्रदेश के	
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से		कार्यालय से प्राप्त	की जा सकती है और	
प्राप्त की जा सकती है? या किस			<u>ic.in</u> से डाउनलोड की जा	
वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती			लिये यहाँ क्लिक करें)	
है?	विभाग के साथ उ	<mark>गनुबंध पत्र,</mark> उपयो	<u>गिता प्रमाण पत्र</u>	
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@ni	<u>c.in</u>		
वांछित दस्तावेज़	पहचान पत्र पते	सहित, मोबाइल न	ांबर (आधार लिंक),	
	आधार से जुड़ा हु	आ बैंक खाता विव	ारण, पटवारी व	
	तहसीलदार द्वारा	प्रति हस्ताक्षर वाल	ा आवेदन पत्र फॉर्म 'क′	
आवेदन जमा करने का स्थान व	सम्बन्धित जिलों	के सहायक निर्	इेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य	
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	अधिकारी / मत्स्य	प्रधिकार <u>ी</u>		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी	
25) योजना का नाम	न्यूनतम 10 टन	क्षमता का आइस प	लांट	
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य	सम्पदा योजना	के अंतर्गत यह योजना केन्द्र	
	सरकार के सहयोग	ा से राज्य में लागृ	्की जा रही है।	
उदेश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स	वरोजगार व् मत्स्य	उत्पादन में बढोत्तरी	
पात्रता	1.लाभार्थी को व	ऋण मुक्त भूमि के	सभी दस्तावेजों के प्रमाण	
	प्रस्तुत करने होंगे	भूमि हेतु कोई	भी वित्तिय सहायता प्रदान	
	नहीं की जायेगी	पट्टे पर ली गः	ई भूमि मालिक भी वित्तिय	
	सहायता हेतु पात्र	ा है [ं] भूमि स्वयं ब	की या पट्टे पर ली गई हो ।	
	सकती है पट्टे पर	ली गई भूमि न्य	रूनतम10 वर्षों की अवधि ले	
	लिए होनी अनिव	र्घ है		
			यकी विभाग हिमाचल प्रदेश	
		ही स्वीकार्य होगी		
		पालन सम्बन्धी गर्	तेविधियों हेतु प्रयोग में लाये	
	जाएंगे।			
	4. रख-रखाव	व् संचालन लागत	ा लाभार्थी द्वारा वहन की	
	जायेगी ।			

ग्रनागना का नगेरा	(3515 31113 50 40 00 000 / 10 3315 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= रू० $40,00,000/-$ प्रति इकाई) सामान्य		
	जाति 40% (रू॰ 16,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम		
	सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और		
	उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से		
	रू० 24 , 0 0, 000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के		
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से	सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और		
प्राप्त की जा सकती है? या किस	विभाग की वेबसाइट <u>hpfisheries.nic.in</u> से डाउनलोड की जा		
वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	सकती है। (<u>आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें</u>)		
है?	विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक),		
	आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व		
	तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क'		
आवेदन जमा करने का स्थान व	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य		
सम्पर्क सूत्र / अधिकारी ।	अधिकारी / मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी		
26) योजना का नाम	जलाशय के मछुआरों हेतु बोट वजाल		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र		
	सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उदेश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व् मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी		
पात्रता	1. राज्य के जलाशयों के सभी सक्रीय मछुआरे इस योजना के		
	अंतर्गत पात्र है।		
	2.परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश		
	की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी		
	3. रख-रखाव व् संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की		
	जायेगी		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= रू० 2,00,000/- प्रति इकाई) सामान्य		
	जाति 40% (रू० 80,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम		
	सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और		
	उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से		
	1,20,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की			
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से	सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और		
प्राप्त की जा सकती है? या किस	विभाग की वेबसाइट <u>hpfisheries.nic.in</u> से डाउनलोड की जा		
वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	सकती है। (<u>आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें</u>)		
है?	विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	सहकारी सभा की सदस्यता, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल		
	नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता		
	विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला		
	आवेदन पत्र फॉर्म 'क'		
आवेदन जमा करने का स्थान व			
सम्पर्क सूत्र / अधिकारी ।	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
रान्त्रमः सूत्र/ जावभारा	जावभारा/ मरस्य जावभारा		

आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
27) योजना का नाम	गिल जाल आबंटन	न	
योजना/स्कीम का संचालन	राज्य योजना		
उदेश्य एवम विशेषता	सभी सक्रिय जल	नाशय म <u>छ</u> ुआरो	को मछली पकड़ने के जाल
	आबंटित करना।	, and the second	
पात्रता	लाभार्थी सहकारी	सभा का सदस	य होना आवश्यक है।
सहायता का ब्योरा	इकाई लागत =	6, 000/- साम	गान्य जाति= 25% (1, 500/-)
	अनुसूचित जाति/		
			वेभाग हिमाचल प्रदेश के
सहायता लेने के लिए आवेदन की	सम्बन्धित क्षेत्रीय	कार्यालय से प्र	ाप्त की जा सकती है और
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से			es.nic.in से डाउनलोड की जा
प्राप्त की जा सकती है? या किस			के लिये यहाँ क्लिक करें)
वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	7		पयोगिता प्रमाण पत्र
है?			
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@n	<u>ic.in</u>	
वांछित दस्तावेज़	जाति प्रमाण पत्र	<u>,</u> सहकारी स	भा की सदस्यता, पहचान पत्र
	पते सहित, मोब	ाइल नंबर, आ ^र	वेदन पत्र फॉर्म 'क'।
आवेदन जमा करने का स्थान व	सम्बन्धित जिलों	के सहायक	निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य
सम्पर्क सूत्र / अधिकारी ।	अधिकारी/मत्स्य		
आयु सीमा	कोई नहीं		सभी
28) योजना का नाम	रिस्क फण्ड योजन	π	
योजना/स्कीम का संचालन	राज्य योजना		
उदेश्य एवम विशेषता	जलाशय के मछु	भारों को बाढ़	इत्यादि अन्य प्राकृतिक आपदाओं
			उपकरणों को हुए नुकसान की
	आंशिक सहायता	1	
पात्रता	1. लाभार्थी पूर्णका	ालिक सक्रिय म	छुआरा होना चाहिये ।
	2. लाभार्थी वि	केसी कार्यर्श	ोल मत्स्य सहकारी
	सभा / फेडरेशन /	′पंजीकृत इकाई	का सदस्य होना चाहिये ।
	मछुआरे द्वारा रि	एस्क फण्ड में	वार्षिक 20/- रू० का योगदान
	अनियार्य है		
सहायता का ब्योरा	सभी क्षतिग्रस्त	उपकरणों की	लागत पर अधिकतम 50%
	(अधिकतम लाग	ात सीमा- बं	ोट 60,000/- रू०, जाल
	6, 000/− ₹0,	टेंट 25, 000,	/- रू० व तरपाल 2,000/-
	रू०)		
सहायता लेने के लिए आवेदन की			वेभाग हिमाचल प्रदेश के
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से		कार्यालय से प्र	ाप्त की जा सकती है और
प्राप्त की जा सकती है? या किस	विभाग की वेबसा	ाइट <u>hpfisherie</u>	es.nic.in से डाउनलोड की जा
वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती			
है?	<u>फण्ड फॉर्म के लि</u>		<u>करें।</u>
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@n		
वांछित दस्तावेज़			गटवारी / तहसीलदार की मौसम
	· ·		मौके पर क्षति रिपोर्ट, मत्स्य
			से सत्यापित होनी चाहिए दावे
	का आवेदन क्षति	के 3 दिन के	भीतर करना अनिवार्य है।

आवेदन जमा करने का स्थान व	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य			
सम्पर्क सूत्र / अधिकारी । आयु सीमा	अधिकारी / मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी			
	अनुसूचित जाति बहुल्य गाँव में सामुदायिक तालाब निर्माण/			
29) योजना का नाम	पुनरुधार			
योजना/स्कीम का संचालन	राज्य योजना			
उदेश्य एवम विशेषता	अनुसूचित जाति वर्ग को मत्स्य पालन से रोजगार प्रदान करना।			
	सामुदायिक तालाब को अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति के			
	पंचायत द्वारा पट्टे पर दिया जाता है।			
पात्रता	केवल अनुसूचित जाति बहुल्य गाँव/ पंचायत के लिए			
सहायता का ब्योरा	100% (কে০ 1,00,000/-)			
सहायता लेने के लिए आवेदन की	सम्बधित पंचायत को कोरे कागज पर क्षेत्रीय कार्यालय में			
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से	आवेदन पत्र देना होगा ।पंचायत प्रस्ताव, भूमि का नकल			
प्राप्त की जा सकती है? या किस	ततीमा,			
वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती				
है?				
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in			
वांछित दस्तावेज़	पंचायत द्वारा प्रस्ताव, भूमि सम्बन्धित दस्तावेज़, लाभार्थियों के			
	बैंक खातों का विवरण, अनुमान पत्र, लाभार्थी द्वारा शपथ			
	पत्र			
आवेदन जमा करने का स्थान व	उप-निदेशक कुल्लू/सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/			
The second of th	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी / मत्स्य अधिकारी			
सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	वरिष्ठ मत्स्य आधकारा/मत्स्य आधकारा			
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी			
आयु सीमा 30) योजना का नाम	कोई नहीं जेंडर सभी प्रशिक्षण शिविर- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए			
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी प्रशिक्षण शिविर- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राज्य योजना			
आयु सीमा 30) योजना का नाम	कोई नहीं जेंडर सभी प्रशिक्षण शिविर- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राज्य योजना अनुसूचित जाति वर्ग को मत्स्य पालन में स्वरोजगार हेतु एक			
आयु सीमा 30) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन	कोई नहीं जेंडर सभी प्रशिक्षण शिविर- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राज्य योजना अनुसूचित जाति वर्ग को मत्स्य पालन में स्वरोजगार हेतु एक दिवसीय जागरूकता शिविर			
आयु सीमा 30) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता पात्रता	कोई नहीं जेंडर सभी प्रशिक्षण शिविर = अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राज्य योजना अनुसूचित जाति वर्ग को मत्स्य पालन में स्वरोजगार हेतु एक दिवसीय जागरूकता शिविर केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियो के लिए			
आयु सीमा 30) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता पात्रता सहायता का ब्योरा	कोई नहीं जेंडर सभी प्रशिक्षण शिविर- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राज्य योजना अनुसूचित जाति वर्ग को मत्स्य पालन में स्वरोजगार हेतु एक दिवसीय जागरूकता शिविर केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए 100%			
आयु सीमा 30) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता पात्रता सहायता का ब्योरा सहायता लेने के लिए आवेदन की	कोई नहीं जेंडर सभी प्रशिक्षण शिविर = अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राज्य योजना अनुसूचित जाति वर्ग को मत्स्य पालन में स्वरोजगार हेतु एक दिवसीय जागरूकता शिविर केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियो के लिए 100% आवेदन कोरे कागज पर मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश			
आयु सीमा 30) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता पात्रता सहायता का ब्योरा सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से	कोई नहीं जेंडर सभी प्रशिक्षण शिविर = अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राज्य योजना अनुसूचित जाति वर्ग को मत्स्य पालन में स्वरोजगार हेतु एक दिवसीय जागरूकता शिविर केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियो के लिए 100% आवेदन कोरे कागज पर मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है			
आयु सीमा 30) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता पात्रता सहायता का ब्योरा सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस	कोई नहीं जेंडर सभी \[\frac{			
आयु सीमा 30) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता पात्रता सहायता का ब्योरा सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	कोई नहीं जेंडर सभी प्रशिक्षण शिविर = अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राज्य योजना अनुसूचित जाति वर्ग को मत्स्य पालन में स्वरोजगार हेतु एक दिवसीय जागरूकता शिविर केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए 100% आवेदन कोरे कागज पर मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रशिक्षण शिविर की जानकारी विभाग की वेबसाइट			
आयु सीमा 30) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता पात्रता सहायता का ब्योरा सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	कोई नहीं जेंडर सभी प्रशिक्षण शिविर- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राज्य योजना अनुसूचित जाति वर्ग को मत्स्य पालन में स्वरोजगार हेतु एक दिवसीय जागरूकता शिविर। केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियो के लिए 100% आवेदन कोरे कागज पर मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रशिक्षण शिविर की जानकारी विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in पर एक माह पूर्व फ्लेश की जायेगी।			
आयु सीमा 30) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता पात्रता सहायता का ब्योरा सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है? विभागीय ई मेल	कोई नहीं जेंडर सभी प्रशिक्षण शिविर = अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राज्य योजना अनुसूचित जाति वर्ग को मत्स्य पालन में स्वरोजगार हेतु एक दिवसीय जागरूकता शिविर केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियो के लिए 100% आवेदन कोरे कागज पर मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रशिक्षण शिविर की जानकारी विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in पर एक माह पूर्व फ्लेश की जायेगी fisheries-hp@nic.in			
आयु सीमा 30) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता पात्रता सहायता का ब्योरा सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	कोई नहीं प्रशिक्षण शिविर- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राज्य योजना अनुसूचित जाति वर्ग को मत्स्य पालन में स्वरोजगार हेतु एक दिवसीय जागरूकता शिविर। केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए 100% आवेदन कोरे कागज पर मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रशिक्षण शिविर की जानकारी विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in पर एक माह पूर्व फ्लेश की जायेगी। fisheries-hp@nic.in प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने हेतु आवेदन पत्र विषय सहित,			
आयु सीमा 30) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता पात्रता सहायता का ब्योरा सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है? विभागीय ई मेल वांछित दस्तावेज़	कोई नहीं प्रशिक्षण शिविर- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राज्य योजना अनुसूचित जाति वर्ग को मत्स्य पालन में स्वरोजगार हेतु एक दिवसीय जागरूकता शिविर। केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियो के लिए 100% आवेदन कोरे कागज पर मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रशिक्षण शिविर की जानकारी विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in पर एक माह पूर्व फ्लेश की जायेगी। fisheries-hp@nic.in प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने हेतु आवेदन पत्र विषय सहित, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइलनंबर ।			
आयु सीमा 30) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता पात्रता सहायता का ब्योरा सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है? विभागीय ई मेल वांछित दस्तावेज़ आवेदन जमा करने का स्थान व	कोई नहीं प्रशिक्षण शिविर- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राज्य योजना अनुसूचित जाति वर्ग को मत्स्य पालन में स्वरोजगार हेतु एक दिवसीय जागरूकता शिविर केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए 100% आवेदन कोरे कागज पर मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रशिक्षण शिविर की जानकारी विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in पर एक माह पूर्व फ्लेश की जायेगी fisheries-hp@nic.in प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने हेतु आवेदन पत्र विषय सहित, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइलनंबर उप-निदेशक कुल्लू/सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/			
आयु सीमा 30) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता पात्रता सहायता का ब्योरा सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रिक्रिया- आवेदन की प्रित कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है? विभागीय ई मेल वांछित दस्तावेज़ आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	कोई नहीं प्रशिक्षण शिविर- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राज्य योजना अनुसूचित जाति वर्ग को मत्स्य पालन में स्वरोजगार हेतु एक दिवसीय जागरूकता शिविर केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए 100% आवेदन कोरे कागज पर मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रशिक्षण शिविर की जानकारी विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in पर एक माह पूर्व फ्लेश की जायेगी fisheries-hp@nic.in प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने हेतु आवेदन पत्र विषय सहित, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइलनंबर उप-निदेशक कुल्लू/सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/विरष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी			
आयु सीमा 30) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता पात्रता सहायता का ब्योरा सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है? विभागीय ई मेल वांछित दस्तावेज़ आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी प्रशिक्षण शिविर- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राज्य योजना अनुसूचित जाति वर्ग को मत्स्य पालन में स्वरोजगार हेतु एक दिवसीय जागरूकता शिविर। केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियो के लिए 100% आवेदन कोरे कागज पर मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रशिक्षण शिविर की जानकारी विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in पर एक माह पूर्व फ्लेश की जायेगी। fisheries-hp@nic.in प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने हेतु आवेदन पत्र विषय सहित, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइलनंबर । उप-निदेशक कुल्लू/सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/विरष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी			
आयु सीमा 30) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता पात्रता सहायता का ब्योरा सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है? विभागीय ई मेल वांछित दस्तावेज़ आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा 31) योजना का नाम	कोई नहीं प्रशिक्षण शिविर- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राज्य योजना अनुसूचित जाति वर्ग को मत्स्य पालन में स्वरोजगार हेतु एक दिवसीय जागरूकता शिविर केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियो के लिए 100% आवेदन कोरे कागज पर मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रशिक्षण शिविर की जानकारी विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in पर एक माह पूर्व फ्लेश की जायेगी fisheries-hp@nic.in प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने हेतु आवेदन पत्र विषय सहित, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइलनंबर उप-निदेशक कुल्लू/सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/विष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी मत्स्य पालन तालाब निर्माण जन जाति वर्ग के लिए			
आयु सीमा 30) योजना का नाम योजना/स्कीम का संचालन उदेश्य एवम विशेषता पात्रता सहायता का ब्योरा सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है? विभागीय ई मेल वांछित दस्तावेज़ आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी । आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी प्रशिक्षण शिविर- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राज्य योजना अनुसूचित जाति वर्ग को मत्स्य पालन में स्वरोजगार हेतु एक दिवसीय जागरूकता शिविर। केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियो के लिए 100% आवेदन कोरे कागज पर मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रशिक्षण शिविर की जानकारी विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in पर एक माह पूर्व फ्लेश की जायेगी। fisheries-hp@nic.in प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने हेतु आवेदन पत्र विषय सहित, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइलनंबर । उप-निदेशक कुल्लू/सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/विरष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी कोई नहीं जेंडर सभी			

	जातीय वर्ग के लिए मत्स्य पालन तालाब निर्माणसहायता ।		
पात्रता	केवल जन जाति जातीय वर्ग के व्यक्तियों के लिए		
सहायता का ब्योरा	न्यूनतम 500 वर्ग मीटर के तालाब हेतु रू० 25,500/- की		
	वित्तिय सहायता (प्रथम वर्षीय आदानों सहित)।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के		
प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से			
प्राप्त की जा सकती है? या किस			
वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती	सकती है। (<u>आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें</u>)		
है?	विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	जन जातीय प्रमाण पत्र, ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़,		
	पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ		
	बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति		
	हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क', विभाग के साथ		
	अनुबंध पत्र, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र।		
आवेदन जमा करने का स्थान व	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य		
सम्पर्क सूत्र / अधिकारी ।	अधिकारी / मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं जेंडर सभी		

<u>संपर्क सूत्र /अधिकारी</u>			
<u>जिला बिलासपुर</u>			
सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल बिलासपुर, हि0 प्र०	जिला बिलासपुर	adfisheries1- bil-hp@gov.in	01978-222568
<u>जिला कुल्लू</u>			
उप निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल पतलीकुहल जिला कुल्लू , हि0 प्र०	जिला कुल्लू	ddfisheries- kul-hp@nic.in	01902-240163
	जिला मंडी		
सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल मंडी जिला मंडी, हि0 प्र०	जिला मंडी,	adf-mandi- hp@nic.in	01905-235141
<u>पौंग-डैम (जिला काँगड़ा)</u>			
सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल पौंग- डैम जिला काँगड़ा, हि0 प्र०	पौंग जलाशय	Adfisheries- pong- hp@nic.in	01893-201282
जिला हमीरपुर व काँगड़ा (पौंग जलाशय को छोडकर)			
सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल पालमपुर, जिला काँगड़ा, हि0 प्र०	जिला काँगड़ा (पौंग जलाशय को छोडकर)	Adfisheries- pal-hp@nic.in	01894-231872
जिला चंबा			
सहायक निदेशक मत्स्य, चंबा स्थित सुल्तानपुर जिला चंबा, हि0 प्र०	जिला चंबा,	Adfisheries- cha-hp@nic.in	01899-233801
जिला किन्नौर व शिमला			
सहायक निदेशक मत्स्य, शिमला जिला शिमला , हि0 प्र०	जिला किन्नौर व शिमला	adfish-sml- hp@nic.in	0177-2830171
<u>जिला सोलन</u>			
सहायक निदेशक मत्स्य, सोलन स्थित शामती जिला सोलन हि0 प्र०		adfisheries- sol-hp@nic.in	01792-229454
<u>जिला सिरमौर</u>			
सहायक निदेशक मत्स्य, सिरमौर जिला सिरमौर हि0प्र०	जिला सिरमौर	adf-sir- hp@nic.in	01702-224985
	<u>जिला ऊना</u>		
सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना जिला ऊना हि0प्र०	जिला ऊना	Adfisheries- una-hp@nic.in	01975-227792

Postal Address:

Matasaya Bhawan
Changer Sector
Directorate of Fisheries
Himachal Pradesh, Bilaspur-174 001.
e-mail: fisheries-hp@nic.in
Website: hpfisheries.nic.in
Phone-91-1978-224068(O)
Phone-91-1978-223212(O)

